न्यायालय विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–944/2023

राज्य बनाम कुलदीप सिंह आदि।

मु०अ०सं०–203/2023
धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट।
थाना–फ्रेण्ड्स कालोनी, जिला–इटावा।

<u>आरोप</u>

मैं नीरज कुमार गर्ग, विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5 इटावा आप अभियुक्तगण **कुलदीप सिंह, नितेश कुमार, ओमप्रकाश उर्फ चोटाला व रिंकू कुमार उर्फ भोला** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅ–

यह कि दि०–20.07.2023 को समय 04.20 बजे, स्थान NH2 हाईवे के ऊपर IT। ओवर ब्रिज जहाँ प्रारम्भ होता है, आगरा जाने वाले रोड पर, थानाक्षेत्र फ्रेण्ड्स कालोनी, जिला इटावा में उपनिरीक्षक अंकुश राघव व अन्य हमराही पुलिस कर्मियों द्वारा आप अभियुक्तगण के सह–अभियुक्तगण को वाहन संख्या HR38AE5259 TATA FE GOODS CARRIER, जिस पर आप अभियुक्तगण के सह–अभियुक्तगण सवार थे, मय वाहन गिरफ्तार किये गये और उक्त वाहन की जामातलाशी लेने पर वाहन से नौ बोरियों में कुल 173.75 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसका नमूना विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की विश्लेषक आख्यानुसार गांजा पाया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध किया है जो कि धारा–**8/20** एन.डी.पी.एस.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि आप अभियुक्तगण का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक–24.08.2023

(नीरज कुमार गर्ग)
विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होंने इंकार किया एवं परीक्षण की मांग की।

दिनांक–24.08.2023

(नीरज कुमार गर्ग)
विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–944/2023

राज्य बनाम कुलदीप सिंह आदि।

मु०अ०सं०–203/2023
धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट।
थाना–फ्रेण्ड्स कालोनी, जिला–इटावा।

–आदेश–

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने राज्य की ओर से अभियोजनपक्ष के मामले का वर्णन किया और अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप का विचारण देते हुए यह बताया कि वह अभियुक्तगण के दोष को किस साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने की प्रस्थापना करते है।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को भी आरोप के प्रश्न पर सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ऐसी उपधारण करने का उचित आधार है अभियुक्तगण **कुलदीप सिंह, नितेश कुमार, ओमप्रकाश उर्फ चोटाला व रिंकू कुमार उर्फ भोला** ने धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाये।

दिनांक–24.08.2023

(नीरज कुमार गर्ग)
विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होंने इन्कार किया और विचारण की मांग की। अतः अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 01.09.2023 को प्रस्तुत हो। समस्त गवाहान तलब हो।

दिनांक–24.08.2023

(नीरज कुमार गर्ग)
विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।